संशोधित सरलीकृत

पेंशन प्रपत्र

पेंशन/परिवार पेंशन/उपदान/ मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति उपदान/पेंशन रूपांतरण हेतु आवेदन-पत्र

Name of Govt. Servant
सरकारी सेवक का नाम
SRI SURESH KUMAR
श्री सुरेश कुमार

Designation
पदनाम
JUNIOR ENGINEER
कनीय अभियंता

Name of Office/School
कार्यालय/विद्यालय का नाम
O/o Executive Engineer, Pupri, Sitamarhi
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
पुपरी, सीतामढ़ी

Name of Department
विभाग का नाम
Building Construction Department
भवन निर्माण विभाग

मूल्य: 50/-

Scanned with OKEN Scanner

पेंशन प्रपत्र

पेंशन/परिवार पेंशन/उपदान/मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति उपदान/पेंशन रूपांतरण हेतु आवेदन-पत्र

1. (i) सरकारी सेवक का नाम (हिन्दी में) श्री सुरेश कुमार
(ii) Name of Govt. Servant (in capital letters) SRI SURESH KUMAR

2. (i) पिता/पति का नाम श्री देवेन्द्र कुमार
(ii) Father's/Husband's Name (in capital letters) SRI DEVENDRA KUMAR

3. (i) स्थायी पता :– ग्राम/मोहल्ला माइल, भैरोपुर
डाकघर भैरोपुर थाना बिदुपुर जिला वैशाली
राज्य बिहार पिन कोड 844102 मोबाईल नं० 925674430
(ii) Permanent Address (in capital letters): Vill/Moh. MILE, BHAIROPUR
Post BHAIROPUR P.S. BIDUPUR District VAISHALI
State BIHAR Pin Code 844102 Mobile No. 9525674430

4. (i) पत्राचार का पता :– ग्राम/मोहल्ला बजरंगपुरी कॉलोनी
डाकघर गुलजारबाग थाना आलमगंज जिला पटना
राज्य बिहार पिन कोड 800007 मोबाईल नं० 9525674430
(ii) Address for correspondence (in capital letters): Vill/Moh. BAJRANGPURI COLONY
Post GULZARBAGH P.S. ALAMGUNJ District PATNA
State BIHAR Pin Code 800007 Mobile No. 9525674430

5. (i) अन्तिम पदस्थापन की स्थिति :– पदनाम कनीय अभियंता
Status of last posting :– Designation (in English) JUNIOR ENGINEER
(ii) कार्यालय/विभाग का नाम (हिन्दी में) कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, पुपरी, सीता
Name of Office/Department (in English) O/o Executive Engr Pupri, Sitamarhi,

6. सेवा आरम्भ की तिथि 18.01.1989

7. (i) सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि 31.05.2026
(ii) मृत्यु की तिथि (अगर सेवानिवृत्ति की तिथि के उपरान्त हुई हो)

8. कुल सेवा अवधि :– वर्ष 37 माह 04 दिन 14
व्यवधान की अवधि यदि कोई हो तो उसका उल्लेख करें

9. अन्तिम वेतन 78800

10. औसत वेतन 78800

11. (i) पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि 01.06.2026
(ii) औपबंधिक पेंशन का भुगतान किया गया है या नहीं, यदि हाँ तो
(a) औपबंधिक पेंशन की दर [यदि प्रदत्त की गई हो तो]
(b) भुगतान की अवधि (दिनांक .... से दिनांक .... तक)
(iii) भुगतान की गई औपबंधिक उपदान की कुल राशि रू०

12. कोषागार का नाम पटना निर्माण भवन कोषागार
(जहाँ से भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं)

(पेंशनर कोषागार का चयन अपने सहुलियत से कर सकते हैं।)

13. परिवार पेंशन की दशा में आवेदक का नाम एवं पूरा पता ...... यदि प्रपत्र पारिवारिक पेंशन हेतु भरा जा

14. मृत सरकारी सेवक के साथ सम्बन्ध ...... तब लागू होगा

15. आवेदक की जन्म तिथि 01-06-1966

16. ऊँचाई ...... 5 फिट 08 इंच

17. पहचान चिन्ह ...... कोई भी पहचान चिह्न जिससे आपको चिन्हित किया जा सके

18. यदि पेंशन रूपान्तरण कराना चाहते हैं तो कितना प्रतिशत ...... 40% (या इससे कम)

19. सरकारी सेवक का मोबाईल नं. 9525674430

20. सरकारी सेवक का यूनिक आई॰ डी॰ ......

(क) जी. पी. एफ नं॰ ......

(ख) पैन नं॰ ......

(ग) आधार नं॰ ......

(घ) ई-मेल ......

अनिवार्य रूप से भरें

21. परिवार के सदस्यों का विवरण:

क्रमांक	नाम Name	सरकारी सेवक से सम्बन्ध	जन्म तिथि	वैवाहिक स्थिति	दिव्यांगता की स्थिति (सिविल सर्जन की अध्यक्षता में गठित बोर्ड के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर)
1	2	3	4	5	6
1.	सुलेखा कुमारी	पत्नी	01.08.1968	विवाहित	
2	रोहित कुमार	पुत्र	02.02.2001	अवि०	दिव्यांगता की स्थिति में नीचे दिए गए नोट के क्रम संख्या -03 पर उल्लेखित प्रावधान का अनुपालन करें
3.	रानी कुमारी	पुत्री	04.03.2006	अवि०	
4.					
5.					
6.					
7.					

नोट:-

(i) जन्म तिथि की प्रविष्टि कार्यालय प्रधान द्वारा प्रमाणिक साक्ष्य के आधार पर की जायेगी।

(ii) सरकारी सेवक द्वारा प्रमाणिक साक्ष्य नहीं होने का शपथ पत्र दिया जाता है, उस स्थिति में वित्त विभागीय परिपत्र सं॰ 549 दिनांक 29.04.2015 में अंकित प्रावधानों के आलोक में जन्म तिथि अंकित की जायेगी।

(iii) सिविल सर्जन की अध्यक्षता में गठित बोर्ड द्वारा दिव्यांग पारिवारिक सदस्य जीवकोपार्जन में सक्षम नहीं, का प्रमाण पत्र दिये जाने की स्थिति में ही पेंशन स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा आजीवन पारिवारिक पेंशन अनुमान्य किया जाएगा।

सुरेश कुमार

आवेदक का हस्ताक्षर तिथि के साथ

अनिवार्य है

कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर एवं मुहर तिथि के साथ

Scanned with OKEN Scanner

फोटोग्राफ

फोटोग्राफ कार्यालय के राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित होना अनिवार्य है।

नोट:- (i) सेवा निवृत्त सरकारी सेवक की दशा में संयुक्त फोटोग्राफ।
(ii) मृत सरकारी सेवक की दशा में उत्तराधिकारी का फोटोग्राफ।

परिवार के सदस्यों का विवरण:-

क्रमांक	नाम Name	सरकारी सेवक से संबंध	जन्म तिथि	वैवाहिक स्थिति	दिव्यांगता की स्थिति (सिविल सर्जन की अध्यक्षता में गठित बोर्ड के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर)
1	2	3	4	5	6
1.	सुलेखा कुमारी	पत्नी	01.08.1968	विवाहित	
2.	रोहित कुमार	पुत्र	02.02.2001		
3.	रानी कुमारी	पुत्री	04.03.2006		
4.					
5.					
6.					
7.					

सुरेश कुमार
आवेदक का हस्ताक्षर तिथि के साथ

सरकारी सेवक (मृत सरकारी सेवक के उत्तराधिकारी) के हस्ताक्षर के तीन नमूने

1. सुरेश कुमार
2. लरेश कुमार
3. सुरेश कुमार

अनिवार्य है
हस्ताक्षर अभिप्रमाणित
तिथि के साथ

(अभिप्रमाणित करने वाले राजपत्रित पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम तथा मुहर)

Scanned with OKEN Scanner

घोषणा-पत्र

चूँकि .... (अग्रिम की स्वीकृति देने वाले सरकारी सेवक का पदनाम) ने पेंशन की राशि-सरकार द्वारा नियत करने हेतु आवश्यक जाँच पूरी होने की प्रत्याशा में मुझे औपबंधिक रूप से प्रतिमाह .... (रू० शब्दों में ....) की राशि की स्वीकृति दी है। मैं एतद् द्वारा अभिस्वीकार करता हूँ कि इस अग्रिम को स्वीकार करते हुए मैं यह अच्छी तरह समझता हूँ कि मेरी पेंशन आवश्यक औपबंधिक जाँच पूरी होने पर पुनरीक्षित हो सकती है तथा प्रतिज्ञा करता हूँ कि ऐसे पुनरीक्षण पर मैं इस आधार पर कोई आपत्ति नहीं करूँगा कि मुझे अभी दी जाने वाली औपबंधिक पेंशन उस राशि से अधिक है, जिसका हकदार मैं अन्ततः पाया जाऊँ। मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिस पेंशन का हकदार मैं अन्ततः पाया जाऊँ उससे अधिक राशि लौट दूँगा।

2. मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि अपनी सेवा के किसी भाग के संबंध में जो इस आवेदन-पत्र में सम्मिलित है तथा जिसके संबंध में पेंशन और उपदान का दावा इसमें किया गया है, मैंने किसी पेंशन या उपदान के लिए न तो आवेदन दिया हूँ और न इसे प्राप्त किया है तथा इस आवेदन-पत्र और इस पर दिए गए आदेश का हवाला दिए बिना आवेदन नहीं करूँगा।

3. यदि वेतन एवं भत्ते के अधिक भुगतान के कारण कोई बकाया हो अथवा वेतन दोष संबंधी यात्रा-भत्ता या स्थानान्तरण हेतु यात्रा से संबंधित अग्रिम का बकाया हो अथवा मोटरकार या साईकिल, गृह निर्माण अग्रिम अथवा आवास किराया संबंधी या कोई अन्य बकाया हो जिसकी वसूली मुझसे करनी हो, उसका भुगतान करने के लिए मैं बाध्य होऊँगा।

अनिवार्य है, तिथि के साथ

सेवा-निवृत्त सरकारी सेवक/
मृत सरकारी सेवक के लाभार्थी
का हस्ताक्षर एवं पदनाम एवं विभाग/कार्यालय

Scanned with OKEN Scanner

पेंशन/परिवार पेंशन/उपदान की गणना-तालिका

1. सेवा निवृत्त/मृत सरकारी सेवक का नाम एवं पदनाम .... श्री सुरेश कुमार

2. सरकारी सेवा में नियुक्ति की तिथि 18.01.1989

3. सेवा निवृत्ति/मृत्यु की तिथि 31.05.2026

4. सेवा की कुल अवधि : वर्ष .... 37 .... माह .... 04 .... दिन 14

5. अन्तिम वेतन 75800

6. औसत वेतन 78800

7. अनुमान्य पेंशन .... 78800 ÷ 2 = 39400/-

प्रसंग के अनुसार इस नियम का अनुपालन करें

(I) अंतिम दस महीने की औसत परिलब्धि/अंतिम परिलब्धि (जो लाभकारी हो) X वास्तविक सेवा अवधि (अधिकतम बीस वर्ष)
2 x 20

(II) वैसे सरकारी सेवक जो 01.04.2007 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए हो:-

औसत परिलब्धि x वास्तविक सेवा अवधि (अधिकतम 33 वर्ष
2 x 33

8. परिवार पेंशन

साधारण दर (अंतिम वेतन का 30%) 23640/-

वर्द्धित दर

I. अंतिम वेतन ÷ 2 .... 39400/-

II. साधारण दर पर परिवार पेंशन x 2 ....

III. पेंशन की राशि ....

(तीनों में जो कम हो) ....

9. उपदान की राशि .... (78800 + 50% D.A.) x 66 / 4

(अंतिम वेतन+महँगाई भत्ता) x छहमाही सेवा की अवधि
4

= 19,50,300/-

10. मृत्यु उपदान-

(क) एक वर्ष से कम की सेवा - परिलब्धि का दो गुणा

(ख) एक वर्ष से अधिक तथा पाँच वर्ष से कम - परिलब्धि का छः गुणा

(ग) पाँच वर्ष से अधिक तथा बीस वर्ष से कम - परिलब्धि का बारह गुणा

(घ) बीस वर्ष से अधिक - (अंतिम वेतन+मँहगाई भत्ता) x छहमाही सेवा की अवधि
2

नोटः- (1) उपदान/मृत्यु उपदान की अधिकतम राशि रुपये 20 (बीस) लाख से अधिक नहीं होगी

(2) दिनांक 01.04.2017 से पूर्व के मृत्यु/सेवानिवृत्ति उपदान के अनिष्पादित मामलों में उपदान, 10 (दस) लाख रुपये की अधिसीमा तक ही अनुमान्य होगा।

अनिवार्य है तिथि के साथ

पेंशन स्वीकृति पदाधिकारी का
हस्ताक्षर एवं मुहर

Scanned with OKEN Scanner

पेंशन/परिवार पेंशन/उपदान/मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान/पेंशन रूपांतरण की स्वीकृति

यह समाधान हो जाने के बाद कि श्री/~~श्रीमती/कुमारी~~ ......सुरेश कुमार......

पदनाम ......कनीय अभियंता...... की सेवा संतोषजनक रही है, निम्नांकित व्यक्ति को निम्नरूपेण पेंशन/परिवार पेंशन/उपदान/मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान/पेंशन रूपांतरण की स्वीकृति दी जाती है:-

व्यक्ति का नाम	पता	सरकारी सेवक से सम्बन्ध	राशि	
श्री सुरेश कुमार	बजरंगपुरी कॉलोनी - - - - - - -		पेंशन	39400
			पारिवारिक पेंशन 1. साधारण दर पर 2. वर्धित दर पर	23640 39400
			उपदान/मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान	19,54300/-
			पेंशन की रूपांतरित राशि	15,49,649/-

1. पेंशन/~~परिवार पेंशन~~ आरम्भ होने की तिथि ......01.06.2026......
2. पेंशन की राशि ......39400/-......
3. परिवार पेंशन की राशि ....
   (क) वर्द्धित दर- रुपये ......39400...... दिनांक ......31.05.2033...... तक ....
   (ख) साधारण दर- रुपये ......23640...... दिनांक ......01.06.2033...... से ....
4. मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान की राशि ......19,50,300/-......
5. पेंशन रूपांतरण की राशि ......39400 × 40%......
   रुपये ......15760...... (शब्दों में) ......पन्द्रह हजार सात सौ साठ......
   का रूपांतरित मूल्य रुपये (शब्दों में) ......15,49,649 (पन्द्रह लाख उनचास हजार छः सौ उनचास)......
6. पेंशन/उपदान/रूपांतरण की राशि का भुगतान ......पटना निर्माण भवन...... कोषागार से किया जायेगा।
7. पेंशन/उपदान की राशि का भुगतान बजट शीर्ष "2071 पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ" के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
8. यह स्वीकृति इस शर्त्त के अधीन है कि यदि पेंशन-उपदान की राशि (जैसा महालेखाकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो) भविष्य में उस राशि से अधिक पायी जाय जिसका नियम के अधीन पेंशन भोगी हकदार हो तो पेंशनधारी अधिक भुगतान की राशि लौटाने को बाध्य होगा। सम्बन्धित पेंशनभोगी से इस आशय की घोषणा पत्र संलग्न है।

अनिवार्य है तिथि के साथ

पेंशन स्वीकृति पदाधिकारी का
हस्ताक्षर एवं मुहर

Scanned with OKEN Scanner

महालेखाकार का प्रमाण-पत्र और रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि (नीचे दी गई अभ्युक्तियों के अध्यधीन) श्री .... की अर्हक सेवा वर्ष .... महीना .... दिन .... सम्यक् रूप से प्रमाणित कोटि में है तथा बिहार पेंशन नियमावली .... और बिहार सरकार, वित्त विभाग के ज्ञाप सं॰ 5285 वि॰, दिनांक 26.04.51 की कंडिका 2(ग) तथा बिहार सरकार, वित्त विभाग के संकल्प सं॰ वि॰ बी॰ पी॰ ए॰ आर॰- 12/50, 12548- वि॰, दिनांक 23 अगस्त, 1950 के अधीन अधिक से अधिक .... रु॰ प्रतिमाह तथा .... (अंक में) .... रु॰ (एक मुश्त) पेंशन/सेवा उपदान/परिवार पेंशन और मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-उपदान के रूप में अनुमान्य है। गणना का सत्यापन सम्यक् रूप में अनुमान्य है। गणना का सत्यापन सम्यक् रूप से किया गया है। पेंशन या उपदान .... पर आदेय है और पेंशन दिनांक .... से आरंभ होगी।

बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 और 202 (1) की ओर ध्यानकृष्ट किया जाता है। चूँकि आवेदन सेवा निवृत्ति की तिथि के बाद किया गया है, इसलिए पेंशन आवेदन की तिथि से .... या सेवा निवृत्ति की तिथि .... से आरंभ होगी, जैसा कि मंजूरी प्राधिकारी बिहार पेंशन नियमावली 209 के अधीन निर्देश दें।

(यदि आवश्यक न हो, तो इस कंडिका को काट दें।)

महालेखाकार, बिहार
पटना।

....

जो पदाधिकारी बिहार पेंशन नियमावली के नियम 147 के द्वारा प्राधिकृत अतिरिक्त पेंशन के पात्र हैं, उनके मामले में प्रमाण-पत्र के सामान्य फारम में निम्नलिखित बातें जोड़ दें।

"उन्होंने तीन वर्षों/.. वर्षों तक .... के रूप में सेवा की है और वे 1000/- रु॰, 1500/- रु॰ .... के विशेष अतिरिक्त पेंशन के पात्र हैं उनकी सेवा ऐसी रही है कि उनके मामले में रियायत की जा सकती है"।

नोट:- यदि पेंशन प्रदायी सेवा अधिकतम पेंशन के लिए पर्याप्त हो, तो प्रमाण पत्र पर........................ वर्षों से अधिक के लिए सम्यक् रूप से प्रमाणित लिख दें (उतना ही वर्ष अंकित करें जितना अधिकतम पेंशन पाने के लिए अपेक्षित है।)

Scanned with OKEN Scanner

अनुच्छेद 53, नियम सं॰ 195 (परिशिष्ट जेड॰ एस॰ आर॰)

सरकारी सेवकों के अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

श्री सुरेश कुमार .... का अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र

जो	.... का पद ग्रहण करने के लिए .... के रूप में स्थानापन्न रूप से काम करने के लिए .... का कार्यभार ग्रहण करने	*जा रहे हैं

इन्होंने तारीख (जिस माह में सेवानिवृत्त हुए) .... 20 .... तक .... के रूप में प्रतिमाह .... रु॰ की दर से वेतन और .... के रूप में प्रतिमाह .... रु॰ की दर से कार्यकारी भत्ता लिया है। इनसे की गई कटौतियाँ नीचे दिखाई गई है।

इन्होंने ता॰ .... 20 .... में पूर्वाह्न/अपराह्न में अपना कार्यभार सौंप दिया। इस पदाधिकारी के वेतन से कोई भी वसूली नहीं
___________________________ करनी है।*
पीठ पर लिखी वसूली

2. चालू वर्ष के आरंभ से आज तक इनके वेतन से वसूले गये आयकर का ब्यौरा पीठ पर दिया गया है।

जिस माह में सेवा निवृत्त हुए उस माह में अथवा उसके बाद के माह में निर्गत हुआ होना चाहिए

स्थान .... ता॰	जिस कार्यालय में पिछली बार इनके वेतन की निकासी हुई उस कार्यालय के प्रधान का नाम और पदनाम।

हस्ताक्षर तिथि के साथ अनिवार्य है।

* अनपेक्षित शब्द कलम से काट दें

इसे वह कार्यालय भरेगा जिस कार्यालय में स्थानान्तरण हुआ है।

श्री/श्रीमती .... ने इस कार्यालय में तारीख .... 20 .... के पूर्वाह्न/अपराह्न में अपना कार्यभार ग्रहण किया और मेरे कार्यालय में वे जिस पद पर आये हैं, उनका वेतन .... रु॰ है।

स्थान .... ता॰	जिस कार्यालय में स्थानान्तरण हुआ है उस कार्यालय के प्रधान का नाम और पदनाम

टिप्पणी: 1. अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र इस प्रथम बिल के साथ अवश्य अनुलग्न रहे जिसमें स्थानान्तरित व्यक्ति का नाम हो।

2. अराजपत्रित सरकारी सेवकों का अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र उस कार्यालय का प्रधान देगा जिस कार्यालय को अराजपत्रित सरकारी सेवक छोड़ रहा हो, न कि कोषागार-पदाधिकारी और जब पदाधिकारी किसी दूसरे प्रेसीडेन्सी या राज्य में स्थानान्तरित किया जाए तब ऐसे अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र पर महालेखाकार के प्रतिहस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। यदि वह पदाधिकारी सार्वजनिक सुविधा से भिन्न कारणों से स्थानान्तरित किया जा रहा हो, तो यह बात भी लिख दी जाए।

Scanned with OKEN Scanner

(परिशिष्ट जेड॰ एस॰ आर॰)

अनुसूची 53, प्रपत्र सं॰ 195

की जानेवाली वसूलियों का ब्योरा

वसूली रकम किस प्रकार की है ....

रकम.. रु॰ ....

.... किस्तों में वसूली की जाय।

इस पदाधिकारी के छुट्टी-वेतन / वेतन से कटौती की गई है।

.... मद्दे ....

.... मद्दे ....

.... मद्दे ....

चालू वर्ष के आरम्भ से आज तक वसूले गये आयकर का ब्योरा

महीनों का नाम	सकल रकम								
	वेतन, मजदूरी, वार्षिकी या पेंशन	वह अवधि जिसके लिए स्तम्भ 2 में उल्लिखित मद का भुगतान किया	मकान भत्ता या भाड़ा मुक्त क्वार्टर का मूल्य	वेतन या मजदूरी, अग्रिम वेतन आदि के बदले या उसके अतिरिक्त मिलनेवाली बोनस, उपदान फीस, कमीशन, परिलब्धि या भत्ता अथवा लाभ। (हरेक का अलग अलग दिखाया जाय)।	भविष्य निधि और अन्य निधियों मद्दे कटौती	जीवन बीमा प्रीमियम मद्दे कटौतियाँ	शुद्ध वेतन जिस पर कर की गणना की गई है।	आयकर जिसकी कटौती की गई है।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	रु॰ पै॰	रु॰ पै॰	रु॰ पै॰	रु॰ पै॰	रु॰ पै॰	रु॰ पै॰	रु॰ पै॰	रु॰ पै॰	रु॰ पै॰
अप्रैल, 20									
मई, 20									
जून, 20									
जुलाई, 20									
अगस्त, 20									
सितम्बर, 20									
अक्टूबर, 20									
नवम्बर, 20									
दिसम्बर, 20									
जनवरी, 20									
फरवरी, 20									
मार्च, 20									

Scanned with OKEN Scanner

पेंशन एवं अन्य सेवान्त लाभों की स्वीकृति हेतु प्रचलित प्रपत्रों को अद्यतन करने के संबंध में

बिहार सरकार, वित्त विभाग, पत्र सं० वि० (27) पें० को० 72/2009 (अंश) 301/वि०

प्रेषक,

शिव शंकर मिश्र, भा० प्र० से०
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी।

पटना, दिनांक: 19.3.2019

विषय : पेंशन एवं अन्य सेवान्त लाभों की स्वीकृति हेतु प्रचलित प्रपत्रों को अद्यतन करने के संबंध में।

प्रसंग:- वित्त विभाग परिपत्र सं०-1362, दिनांक 01.12.2015

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि प्रसंगाधीन वित्त विभागीय परिपत्र सं० 1362, दिनांक 01.12.2015 द्वारा सेवांत लाभ से संबंधित प्रचलित प्रपत्रों का सरलीकरण किया गया था। तत्पश्चात् निर्गत विविध परिपत्रों/संकल्पों के आलोक में इसे अद्यतन करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। महालेखाकार, बिहार द्वारा भी इस संदर्भ में अग्रेतर कार्रवाई का अनुरोध किया गया है।

सम्यक् विचारोपरान्त प्रचलित पेंशन प्रपत्रों को अद्यतन करने का निर्णय लिया गया है। अद्यतनीकृत पेंशन प्रपत्रों एवं गणना तालिका की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि यह परिपत्र निर्गत की तिथि से प्रभावी माना जायेगा। भविष्य में सेवा निवृत्त होने वाले कर्मियों को सेवान्त लाभों की स्वीकृति हेतु संलग्न प्रपत्र का ही प्रयोग किया जाय।

कृपया इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन
ह०/-
(शिव शंकर मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

प्राप्ति स्थान
विभागीय प्रकाशन बिक्री केन्द्र
विकास भवन (SBI ATM के निकट)
नया सचिवालय, पटना-1

Scanned with OKEN Scanner